10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(41)

समक्ष- माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर CF 1515

R 1808-II/2006

1- नंदन प्रसाद पाठक तनय भगवतदीन पाठक

2- रमाकान्त तनय नंदनप्रसाद पाठक

दोनों निवासी ग्राम सुगरहा तह0 गुनौर

जिला पन्ना म.प्र. .. .आवेदकगण

।। विरूद्ध ।।

1- रामलाल पिता बसोरा कोरी

2- सोनेलाल तनय बसोरा कोरी

निवासी ग्राम सुगरहा तह0 गुनौर

जिला पन्ना म.प्र. ...अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर म.प्र. के निगरानी प्रकरण क्रमांक-360अ-19 वर्ष 2001-2002 में पारित आदेश दि0 23.8.06 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

आवेदकगणों की ओर से प्रार्थना निम्न प्रकार है:-

1- यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदकगणों को तहसीलदार गुनौर के प्रकरण क्र0 17अ-19 (ब) वर्ष 92-93 में पारित आदेश दिनांक 6.4.93 एवं प्रकरण क्र0 119अ-19 (ब) वर्ष 93-94 में पारित आदेश दिनांक 6.12.94 के तहत पात्रतान होते हुए भी भूमि का पट्टा दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत जारी कियागया था तहसीलदार गुनौर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगणों द्वारा एक निगरानी श्रीमान् कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण में विधिवत् सुनवाई उपरांत विद्वान कलेक्टर पन्ना द्वारा किया गया बंटन अनियमित एवं विधिवत् प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में त्रुटिपूर्ण पाते हुए जारी पट्टों निरस्त करने का आदेश पारित

अधिवक्ता 27-9-06 को प्रस्तुत।
आज दि० 27/9/06
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मुकेश ... 27-9-06 एडवोकेट ग्वालियर

Admitted.
2. Call for records.
3. Notice to n-a.
14/2/07

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग. 1808–दो/2006 जिला– पन्ना

नंदन प्रसाद पाठक आदि विरूद्ध रामलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 06.09.2018 को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव व अनावेदक के अधिवक्ता श्री लाखन सिंह को सुना जा चुका है । उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया था । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 360/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2006 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण का सार यह है कि अनावेदकगण रामलाल व सोनेलाल को दिनांक 06.04.1993 एवं 06.12.94 को क्रमशः दखलरहित अधिनियम 1984 के द्वारा भूमि का पट्टा तहसीलदार गुनौर, जिला–पन्ना द्वारा दिया गया था। आवेदकगण के द्वारा उक्त भूमि पट्टा आवंटन के विरूद्ध कलेक्टर पन्ना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसे कलेक्टर पन्ना ने दिनांक 24.12.2001 के आदेश से स्वीकार किया जाकर पट्टा निरस्त के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकण ने अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के यहॉ पुनः निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे अतिरिक्त कमिश्नर के द्वारा आदेश दिनांक 23 अगस्त 2006 से	

निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर पन्ना का आदेश दिनांक 14.12.2001 निरस्त कर तहसीलदार गुनौर द्वारा किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 06.04.93 व 06.12.94 बटांक किया जाकर अनावेदकगण रामलाल व सोनेलाल का पट्टा बहाल किया । अतिरिक्त कमिश्नर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता/आवेदकगण शिकायतकर्ता के रूप में प्रारम्भ से है। तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध कलेक्टर व अपर आयुक्त के समक्ष दो बार निगरानी की जा चुकी है।

5/ मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमि आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है । तथापि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार मध्यप्रदेश भू.रा. संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण चलने योग्य है। भूमि आवंटन राज्य व अनावेदकगण के मध्य है। परव्यक्ति को सुने जाने का प्रावधान नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश, जिसके द्वारा अनावेदकगण का भूमि व्यवस्थापन आदेश बहाल किया है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

20.9.18

(आर.के. जैन)
सदस्य